

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
::आदेश::


भोपाल, दि.14.3.2018

क्रमांक एफ 44-8/2018-20-2 :: विभागीय समसंख्यक दिनांक 03 अगस्त 2017 के परिप्रेक्ष्य में "रुक जाना नहीं योजना" योजना अन्तर्गत वर्ष 2016 में कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को वर्ष 2018 में आयोजित होने वाले "रुक जाना नहीं योजना" की कक्षा 12वीं के परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


  
(प्रमोद सिंह) 14/3/18  
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 44-8/2018-20-2 ::  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दि. 14.3.2018

1. निज सचिव, मान. मंत्री/मान. राज्य मंत्री, म.प्र.शासन।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संचालक, राज्य ओपन स्कूल मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
9. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
आर्डर बुक।

  
उप सचिव 14/3/18

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग